(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2025-प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. (अ)- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के तहत इन पर लगने वाले प्रतिकर जो 0.1 प्रतिशत की दर से गणना की गयी राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एटतदवर छूट प्रदान करता है, नामतः

(i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉइस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;

(ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर उक्त सामान का निर्यात करेगा;

(iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवा कर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के सम्बंध में पंजिकिरत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इन्वॉस संख्या, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो में दर्शाएगा;

(iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद सम्बन्धी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जाएगा;

(v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएँ ख़रीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे –

(क) बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है।

(vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जाएगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;

(viii) इस मामले में शर्त (vii) में बतायी गयी स्थिति में पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इन्वॉस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस ऑपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की आवती प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इन्वॉस और वेयर हाउस ऑपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(ix) जब वस्तुएँ निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इन्वॉस आंकित हो तथा इसके साथ एक्सपॉर्ट जेनरल मैनिफ़ेस्ट या सबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को और ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को दायर की गयी निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा.सं. - 190354/2/2025- टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव